



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 4 जुलाई, 2025

आषाढ़ 13, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-5

संख्या 1430/सत्तर-5-2025-1894014

लखनऊ, 4 जुलाई, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-46

संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा (समूह-क) सेवा नियमावली, 1985 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित सेवा नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा (समूह-क) सेवा (तृतीय संशोधन)

नियमावली, 2025

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा (समूह-क) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी; संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा (समूह-क) सेवा नियमावली, 1985 में नीचे उपनियम 15(3) का स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम 15 (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रतिस्थापन उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1**विद्यमान उप-नियम**

सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15(3) आयोग, अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता के क्रम में व्यवस्थित करेगा। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम**

15(3) आयोग, अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा (सब्जेक्टिव टाइप) + साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर रखा जायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भी समान अंक प्राप्त करते हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर रखा जायेगा। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

आज्ञा से,
एम0 पी0 अग्रवाल,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1430/LXX-5-2025-1894014, Dated July 4, 2025 :

No. 1430/LXX-5-2025-1894014

Dated Lucknow, July 4, 2025

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Higher Education (Group A) Service Rules, 1985 :-

THE UTTAR PRADESH HIGHER EDUCATION (GROUP-A) SERVICE
(THIRD AMENDMENT) RULES, 2025

Short title and
commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Higher Education (Group-A) Service (Third Amendment) Rules, 2025;
- (2) They shall come into force at once.

Substitution of
sub-rule 15(3)

2. In the Uttar Pradesh Higher Education (Group-A) Service Rules, 1985, for existing sub-rule 15(3) set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

<u>COLUMN-1</u>	<u>COLUMN-2</u>
<i>Existing sub-rule</i>	<i>Sub-Rule as hereby substituted</i>
15(3) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidates in the interview. If two or more candidates obtain equal marks, the commission shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the service. The Commission shall forward the list to the appointing authority.	15(3) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidates at the written exam (subjective type) and interview. If two or more candidates obtain equal marks, in the aggregate, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. If two or more candidate obtain equal marks in the written examination also, the name of candidate senior in age, shall be placed higher in the list. The Commission shall forward the list to the appointing authority.

Process for direct
recruitment

By order,
M. P. AGRAWAL,
Pramukh Sachiv

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 84 राजपत्र-2025-(248)-599 प्रतियां-(डी०टी०पी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० उच्च शिक्षा-2025-(249)-1000 प्रतियां-(डी०टी०पी०/ऑफसेट)।